



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1943 (श०)
(सं० पटना 308) पटना, शुक्रवार, 16 अप्रील 2021

वित्त विभाग

शुद्धि-पत्र

06 अप्रील 2021

सं० एम-4-13/2019/2608/वि०—विभागीय अधिसूचना-सह-पठित ज्ञापांक 1924, दिनांक 16.03.2021 द्वारा श्री सुमन कुमार, संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त कार्य से संबंधित निर्गत आदेश को निम्नवत पढ़ा जाय :-

“श्री सुमन कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को अपने कार्य के अतिरिक्त संसदीय कार्य विभाग का भी आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाता है।

इन्हें बिहार विधान मंडल के सदस्यों/पूर्व सदस्यों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति विपत्रों की जांच एवं उसपर सहमति देने हेतु भी प्राधिकृत किया जाता है।

2. वित्त विभाग द्वारा एतदसंबंधी पूर्व निर्गत अधिसूचना को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।”

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ भेज दी जाय।

अनुलग्नक-यथोक्त।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 308-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>